कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

रायगढ़, दिनांक 12 / 06 / 2026

क्र. 1266 / रा.वि. / न.पा.नि. / 2026

।। द्वितीय निविदा सूचना ।।

नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा आगामी 05 वर्षों के लिए नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत कुल 04 जोन में होर्डिंग्स बोर्ड लगाये जाने हेतु पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों से जोनवार स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से त्रि लिफाफा पद्धति में दिनांक 01.07.2026 को सायंकाल 04 बजे तक मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मुल्य 500/–रू. नगद जमा कर दिनांक 30.6.2026 तक कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते है।

निर्धारित समायावधि में प्राप्त निविदायें दिनांक 02.07.2026 को सायं 04:00 बजे नगर निगम, रायगढ़ में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

निविदा हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:–

1. प्रत्येक जोन हेतु पृथक–पृथक निविदा–प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के रूप में रू. 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ITR रिपोर्ट 2022–23 से 2024–25, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में निविदा प्रपत्र होगा। दोनो लिफाफा एक लिफाफा में भरकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
4. विस्तृत निविदा सूचना तथा नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी तथा वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 1266 / रा.वि. / न.पा.नि. / 2026

रायगढ़, दिनांक ..../......../26

प्रतिलिपि:–

01. मान.महापौर/सभापति /नेताप्रतिपक्ष, नगर पालिकनिगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
02. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
03. कार्यपालन अभियंता/अधीक्षक विज्ञापन उपविधि नगरपालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
04. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
05. प्रोग्रामर, नगर पालिक निगम रायगढ़ को शासन/ नगर निगम की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
06. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम रायगढ़ उक्त सूचना का 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनरार्थ।
07. कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

C:\Users\makar\Desktop\hordings nivida 2026- 27.docx

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

क्र.1266/रा.वि./न.पा.नि./2026 रायगढ़, दिनांक 12/06/26

।। निविदा का विवरण एवं नियम शर्त ।।

(A) निविदा की अनिवार्य शर्तेः–

1. छ.ग. राजपत्र रायपुर दिनांक 07 अगस्त 2012 विज्ञापन व्यवसाय/विनियमन हेतु आदर्श उपविधि के उल्लेखित समस्त नियम व शर्तें लागू होगी।
2. नगरीय निकाय/किसी शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय का समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यालय प्रमुख/विज्ञापन अधीक्षक से जारी प्रमाण पत्र)
3. अमानत राशि के रूप में रू. 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से प्रथम लिफाफा में संलग्न करना होगा।
4. विगत 03 वर्षो का ITR रिपोर्ट जमा करना होगा (वर्ष 2022–23 से 2024–25 तक)
5. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड संलग्न करना होगा।
6. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

(B) निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. विज्ञापन बोर्ड का विवरणः–

जोन क्र.	जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र	निर्धारित प्रीमियम (प्रति बोर्ड साईज 20X10)	निर्धारित अमानत राशि
01	केवड़ाबाड़ी बसस्टैंड से ढ़ीमरापुर चौक, ढ़ीमरापुर चौक से जिंदल एवं उर्दना चौक ढ़ीमरापुर चौक से कोतरा रोड़ आर.ओ.बी. कोतरा रोड़ थाना से सत्तीगुड़ी चौक,सत्तीगुड़ी चौक से घड़ी चौक से केवड़ाबाड़ी चौक, सत्तीगुड़ी चौक से स्टेशन चौक तक । **(यूनिपोल होडिंग बोर्ड)**	132763/–	25,000/–
02	रामनिवास टॉकीज चौक से हेमु कालानी चौक,रामनिवास टाकीज से शनिमंदिर होते हुए मिनीमाता चौक एवं शनि मंदिर से केलो नदी मरीन ड्राईव तक। **(यूनिपोल होडिंग बोर्ड)**	120695/–	25,000/–
03	हेमू कालाणी चौक से पालिटेक्निक कॉलेज होते हुए चक्रधरनगर चौक बोईरदादर रोड़ तक चौक तक **(ग्राउंड होडिंग लोहा एंगल)**	97886/–	25,000/–
04	मिनीमाता चौक से सावित्रीनगर होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर मिनीमाता चौक से कबीर चौक से कांशीराम चौक **(ग्राउंड होडिंग लोहा एंगल)**	65526/–	25,000/–
होडिंग प्रतिबंधित क्षेत्र :– चकधरनगर रेल्वे फाटक से टीवी टॉवर रोड़ कलेक्ट्रेट मार्ग चक्रपथ डिग्री कॉलेज मार्ग पंजरीप्लॉट केलो बिहार।			

नियम व शर्ते :–

2. प्रत्येक जोन हेतु पृथक–पृथक निविदा–प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के रूप में रू. 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र,पैन कार्ड, ITR रिपोर्ट 2022–23 से 2024–25, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में निविदा प्रपत्र होगा। दोनो लिफाफा एक लिफाफा में भरकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
3. नगर पालिक निगम रायगढ़ के बकायादार का निविदा स्वीकार नहीं होगा।
4. निर्धारित प्रीमियम राशि से कम की दर स्वीकार योग्य नहीं होगी, अधिकतम् दर की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने पर सफल निविदाकर्ता को एक माह के अंदर निविदा की सम्पूर्ण वार्षिक राशि एकमुश्त अग्रिम में जमा करना होगा एवं प्रति वर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ राशि अग्रिम में एकमुश्त जमा करना होगा, अन्यथा अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

क्रमशः 02

Scanned with OKEN Scanner

6. नगर निगम, रायगढ़ द्वारा होर्डिंग बोर्ड लगाने का स्थल चयन किया जावेगा। चयनित स्थल पर ही होर्डिंग्स बोर्ड की संख्या साईज अनुसार लगाने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
7. सघन शहर होने के कारण छत के उपर एवं विज्ञापन मुक्त (प्रतिबंधित क्षेत्र) पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
8. छत्तीसगढ़ शासन/कलेक्टर रायगढ़ एवं नगर निगम द्वारा जनहित में जारी किये गये विज्ञापन को होर्डिंग्स में लगाना अनिवार्य होगा, जिसके लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क प्रदान नही किया जावेगा।
9. भूतल से 10 फीट की ऊँचाई से ऊपर ही होर्डिंग्स बोर्ड लगाया जाना होगा।
10. विज्ञापन बोर्ड का फाउण्डेशन, डिजाईन एवं स्टेबिलिटी की जवाबदारी भी आवेदक विज्ञापन एजेंसी संस्था व उनके इंजीनियर की होगी, जिसकी जाँच नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा जिसमें एजेंसी एवं ठेकेदार को सहयोग करना होगा।
11. विज्ञापन के स्ट्रक्चर स्थापना पश्चात् स्टेबिलिटी इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया जावेगा।
12. विज्ञापन बोर्ड के ऊपरी एवं निचले भाग पर रेडियम युक्त लाल पट्टी की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा की जावेगी।
13. प्रस्तावित चिन्हांकित रिक्त स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल या किसी निजी भवन/भूमि पर बिना अनुमति होर्डिंग्स बोर्ड लगा पाये जाने पर उसे अवैध मानते हुए संबंधित विज्ञापन एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त होर्डिंग्स बोर्ड को निगम द्वारा जब्त कर लिया जावेगा एवं निविदाकर्ता की राशि एवं अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त की जावेगी, जिस पर निविदाकर्ता को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।
14. जिला प्रशासन/पुलिस विभाग या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आवेदक/विज्ञापन एजेंसी को जारी की गई अनुमति निरस्त की जावेगी तथा आवेदक/संस्था द्वारा लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन बोर्ड को हटाया जाना बंधनकारी होगा।
15. आकस्मिक/प्राकृतिक दुर्घटना के कारण यदि लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन बोर्ड गिरता है तथा इससे जन–धन की हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति आवेदक/विज्ञापन एजेंसी द्वारा किया जावेगा तथा इससे संबंधित कोई भी दावा आपत्ति, क्षतिपूर्ति/घटना–दुर्घटना इत्यादि के लिये सम्पूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी आवेदक/विज्ञापन एजेन्सी की होगी।
16 जनहित व सुरक्षा की दृष्टि से अथवा सड़क चौड़ीकरण या अन्य आवश्यकता होने पर आवेदक संस्था/विज्ञापन एजेंसी को जारी अनुमति निरस्त की जा सकती है, जो कि आवेदक विज्ञापन एजेंसी को स्वीकार होगी।
17. मिनी यूनिपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
18. निविदाकार एजेंसी स्थापित मिनी यूनिपोल में शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
19. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।
20. निविदा स्वीकृति होने पर एक सप्ताह के अंदर सफल निविदाकर्ता को 50/– रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित करना होगा अन्यथा उक्त निविदा स्वमेव निरस्त समझी जावेगी एवं नवीन निविदा आमंत्रित करने का अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ को होगा तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाली समस्त क्षति की वसूली निविदाकर्ता से की जावेगी।
21. स्वच्छता, सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था या जनहित में किसी विज्ञापन बोर्ड को हटाये जाने का पूर्ण अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ को होगा ।
22. उपरोक्त नियम के अतिरिक्त अन्य नियम व शर्तें अनुबंध पत्र पर होगी।
22. समय–समय पर शासन,/आयुक्त नगर निगम रायगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

C:\Users\makar\Desktop\hordings nivida 2026- 27.docx

Scanned with OKEN Scanner